संख्या -20/सीपी 57/84-2-2013-सीपी 11/2003

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2013

विषय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3963/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि 13, दिनांक 14 फरवरी, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य आयोग के 15 चतुर्थ श्रेणी (06 अर्दली एवं 09 चपरासी) के पदों का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से न्यूनतम दर से कराये जाने के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी के प्रश्नगत 15 पदों का कार्य न्यूनतम दर वाली सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से आउटसोर्सिंग से कराने पर इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि एग्रीमेंट करते समय फर्म से यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि कर्मचारी को उतनी धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से फर्म द्वारा किया जायेगा, जितनी धनराशि का भुगतान एग्रीमेंट में होगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक की धनराशि कर ("टैक्स") को सम्मिलित करते हुए रूपया 7000/- से अधिक नहीं होगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- /सीपी 57(1)/84-2-2013 दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in